ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बैबसाइट पर 15 दिन तक के लिए अपलोड की जाने वाली सूचना।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार की प्रस्तावित योजनाओं के कम में ग्रेटर नोएडा महायोजना–2021 में संशोधन के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की 97वीं बोर्ड बैठक दिनांक 12.02.2014 के मद संख्या **97/38** में ग्रेटर नोएडा विस्तार महायोजना–2021 में कतिपय संशोधन अनुमोदित किये गये हैं। बोर्ड द्वारा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार की दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं कमशः वैस्टर्न डी. एफ.सी. एवं डी.एम.आई.सी. के कम में प्रस्तावित संशोधनों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

वेस्टर्न फ्रेट कोरीडोर का संरेखन, जो दिल्ली हावडा रेलवे लाइन तथा 130 मिटर चौडी सडक के मध्य जो क्षेत्र पड रहा है में स्थलिय परिर्वतनो के कारण संशोधन प्रस्तावित है। इस प्रस्तावित संशोधित संरेखन में यू.पी.एस.आई.डी.सी. तथा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की भूमि पड रही है। तदानुसार प्रस्तावित संरेखन के अनुरूप एवं इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो के स्थलीय आकार के अनुरूप प्राविधान करते हुये महायोजना में संशोधन किया गया है।

दिल्ली मुम्बई इण्डसट्रियल कॉरीडोर (डीएमआईसी) वैस्टर्न फ्रेट कोरीडोर के दोनों तरफ 150 से 200 किलोमीटर प्रभाव क्षेत्र को डीएमआईसी के रुप में परिकल्पित किया गया है। इस क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए अन्तराष्ट्रीय स्तर की भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जायेगा जहॉ लॉजिस्टिक हब, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक पार्क और कलस्टर, एग्रो प्रोसेसिंग हब, हाई स्पीड रेल लिंकेज, पावर प्रोजेक्ट, पोटर्स और हवाई अडडा आदि का प्राविधान होगा। (holistic) विकास हेतु सामाजिक अवस्थापना सुविधाएं जैसे स्किल डेवलपमेन्ट सेन्टर, मनोरंजन एवं अन्य सामाजिक सुविधाओं से युक्त डेवलपमेन्ट टाउनशिप, आदि विकसित किये जायेंगे। इस परियोजना का उत्तर प्रदेश में 12 प्रतिशत भाग विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र में पड़ता है जिससे 2,50,000 रोजगार का सृजन हो सकेगा व ग्रेटर नोएडा शहर इस परियोजना का प्रथम नोड व परियोजना का "Gateway" होगा।

तीनों अर्ली बर्ड परियोजनाऐं ग्रेटर नोएडा अधिसूचित क्षेत्र में चिन्हित की गयी कमशः एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप, मल्टी मॉडल ट्रॉसपोर्ट हब एव मल्टी मॉडल ट्रान्सपोर्ट हब हैं। प्राधिकरण में डी0एम0आई0सी0डी0सी0 द्वारा तीनों अर्ली बर्ड परियोजनाओं की रिर्पोट प्रस्तुत की गई थी जिस पर प्राधिकरण द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर सुझाव/आख्या संशोधन हेतु प्रेषित किया गया है। परियोजनाओं का सक्षिप्त विवरण तथा अपेक्षित कार्यवाही निम्नानुसार हैः–

1. प्रथम अर्ली बर्ड परियोजना **"एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप"** के रूप में विकसित की जानी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पास इस परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध है। एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप परियोजना हेतु किया जाने वाला शेयर होल्डर एग्रीमेन्ट तैयार कर लिया गया है व कान्सेप्ट मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया गया है। इस परियोजना की भूमि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित कर ली गयी है। एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप में कार्य करने वाले लोगों के लिए आवास, संस्थागत सुविधा, व्यवसायिक सुविधा व अन्य अवस्थापना सुविधायें एक स्थान पर उपलब्ध करायी जा रहीं है। ग्रेटर नोएडा महायोजना–2021 में "एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप" के लिए आरक्षित स्थान औद्योगिक, संस्थागत एवं एस0ई0जेड0 के अन्तर्गत दर्शित है व इस परियोजना को एकीकृत रूप में विकसित करने के लिए इस परियोजना को विशेष परियोजना के रूप में आवासीय, औद्योगिक, व्यवसायिक, संस्थागत, यातायात, ग्रीन क्षेत्र, एवं

यूटिलिटिज की एकीकृत टाउनशिप के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना को विकसित करने हेतु ग्रेटर नोएडा महायोजना को परिवर्तित करते हुए "एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप" का नया भू–उपयोग लगभग 335.96 हे0 का प्रस्तावित किया गया है तथा अध्याय 6 एवं अध्याय 10 के प्रस्तर 10.3.एवं 10.12 में प्रस्तावित उपयोग एवं विवरण के सम्बन्ध में प्राविधान सम्मलित कर लिया गया है। प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त इस संशोधन हेतु अनुमति उत्तर प्रदेश शासन एवं एन0सी0आर0योजना बोर्ड से भी प्राप्त करनी होगी।

2. दूसरी अर्ली बर्ड परियोजना **मल्टी मॉडल ट्रॉसपोर्ट हब** परियोजना है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 400 एकड़ है। इस परियोजना का कुछ भाग ग्रेटर नोएडा फेस–1 के अधिसूचित क्षेत्र का भाग जहॉ का भू–उपयोग यातायात एवं व्यवसायिक है। शेष भाग रेलवे लाईन के पूरब में पड़ता है। रेलवे लाईन के पूरब का क्षेत्र ग्रेटर नोएडा विस्तार में अधिसूचित है। मै0 डीएमआईसीडीसी द्वारा प्रस्तुत कॉसेप्ट प्लान में वाणिज्यिक, मिश्रित उपयोग इत्यादि गतिविधियॉ प्रस्तावित है। अतः परियोजना के कियान्वयन हेतु ग्रेटर नोएडा महायोजना 2021 के क्षेत्रफल विशलेषण में डीएमआईसीडीसी द्वारा प्रस्तावित FSI में निम्नानुसार संशोधन किया गया है, जिसका अनुमोदन उत्तर प्रदेश शासन एवं एन0सी0आर0 योजना बोर्ड से भी प्राप्त करना होगा। तदानुसार महायोजना 2021 में एम.एम.टी.एच. का एक तथा उप–भूउपयोग ट्रांस्पोर्ट के अर्न्तगत प्राविधानित किया गया है। अध्याय 6 एवं अध्याय 10 के प्रस्तर 10.3.एवं 10.13 में प्रस्तावित उपयोग एवं विवरण के सम्बन्ध में प्राविधान सम्मलित कर लिया गया है।

उपरोक्त संशोधनों पर यदि कोई आपत्ति/सुझाव हों तो समाचार पत्र मे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 9.30 बजे से सॉयकाल 6.00 बजे तक प्राधिकरण के कस्टमर रिलेशन सेल पर महाप्रबन्धक (नियो0/वास्तु0), ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा को सम्बोधित करते हुए लिखित रुप से प्रेषित किया जा सकता है। अनुमोदित संशोधनों को दर्शाते हुए मानचित्र प्राधिकरण के नियोजन विभाग में सभी कार्य दिवसों में अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगा। आपत्ति/सुझाव देने वाले व्यक्ति/संस्था को अपना नाम,पता व दूरभाष सहित पूर्ण विवरण देना आवश्यक है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण